न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 38/ 2020 **दायर तारीख :– 02-06-2020**

1. श्रवण लाल गुर्जर पुत्र श्री रामशरण गुर्जर जाति गुर्जर निवासी देवली पोस्ट सोठाना तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।

— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कार्यालय तहसील विराटनगर, जिला जयपुर (राज0)।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित : श्री विनोद कुमार गुर्जर , अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :–11.08.2020

1. संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य हैं कि वाकै ग्राम देवली के खाता संख्या 61 के हाल खसरा नम्बर 409 रकबा 2.50 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 62 के खसरा नंबर 418 रकबा 2.30 हैक्टेयर खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2076–2079 है। यह है कि नामान्तकरण के दौरान प्रार्थी का नाम श्रवण लाल पुत्र रामशरण का नाम गलत इन्द्राज करते हुए सोणाराम पुत्र रामशरण अंकित कर दिया, जो की लिपिकीय भूल है, जो कि दुरूस्त करने योग्य है। यह है कि प्रार्थी का सही नाम श्रवण लाल पुत्र रामशरण ही है, जिसको कभी किसी अन्य नाम से नहीं पुकारा जाता। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहवन से सोणाराम पुत्र रामशरण दर्ज है, जो गलत दर्ज है,, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी/गैरसरकारी कागजात, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आदि में वास्तविक नाम श्रवण लाल गुर्जर पुत्र रामशरण गुर्जर है। अतः प्रार्थी का नाम काबिल दुरूस्ती है। अतः निवेदन है कि वाकै ग्राम देवली के खाता संख्या 61 के हाल खसरा नम्बर 409 रकबा 2.50 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 62 के खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

418 रकबा 2.30 हैक्टेयर की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सोणाराम पुत्र रामशरण के बजाय श्रवण लाल पुत्र रामशरण जाति गुर्जर दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम देवली खाता संख्या 61 संवत् 2076–2079, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम देवली खाता संख्या 62 संवत् 2076–2079, फोटो प्रति नामान्तकरण संख्या 202 ग्राम सोठाना, फोटो प्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, फोटोप्रति भारत सरकार आधार कार्ड 4791-3256-1442, फोटो प्रति पैन कार्ड–AZZPG1283B, फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड 007917700259, ग्राम पंचायत सोठाना लैटर हैड प्रमाण पत्र आदि पेश किये गये।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। वाकै ग्राम देवली के खाता संख्या 61 के हाल खसरा नम्बर 409 रकबा 2.50 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 62 के खसरा नंबर 418 रकबा 2.30 हैक्टेयर खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2076–2079 है। यह है कि प्रार्थी का नाम श्रवण लाल पुत्र रामशरण का नाम गलत इन्द्राज करते हुए सोणाराम पुत्र रामशरण अंकित कर दिया, जो की लिपिकीय भूल है, जो कि दुरूस्त करने योग्य है। यह है कि प्रार्थी का सही नाम श्रवण लाल पुत्र रामशरण ही है, जिसको कभी किसी अन्य नाम से नहीं पुकारा जाता। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहवन से सोणाराम पुत्र रामशरण दर्ज है, जो गलत दर्ज है,,यह भी कि प्रार्थी श्रवण लाल पुत्र रामशरण के समस्त सरकारी/गैरसरकारी कागजात,, फोटो प्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, फोटोप्रति भारत सरकार आधार कार्ड 4791-3256-1442, फोटो प्रति पैन कार्ड–AZZPG1283B, फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड 007917700259 आदि में वास्तविक नाम श्रवण लाल गुर्जर पुत्र रामशरण है। अतः प्रार्थी श्रवण लाल पुत्र रामशरण का नाम काबिल

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

दुरूस्ती है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा को लिपकीय त्रुटि संशोधन तथा सम्मान जनक नाम संसोधन की अधिकारिता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि वाकै ग्राम देवली के खाता संख्या 61 के हाल खसरा नम्बर 409 रकबा 2.50 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 62 के खसरा नंबर 418 रकबा 2.30 हैक्टेयर की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सोणाराम पुत्र रामशरण के बजाय श्रवण लाल गुर्जर पुत्र रामशरण गुर्जर दर्ज किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 11.08.2020 सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)